



श्रावस्ती के पुलिस कार्यालय में पुलिस हिरासत में हत्यारोपितों के बारे में जानकारी देते एसपी अरविंद कुमार मौर्य (बाएं) व एसपी बीसी दूबे (दाएं) • जागरण

## पुलिस के हथ्थे चढ़े हत्यारोपित, भेजे गए जेल

संसू, श्रावस्ती : सोनवा थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा गांव के पास नहर पर चार माह पूर्व भोजन लेकर खेत की ओर जा रहे किसान की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मंगलवार को पुलिस ने दो आरोपितों को दबोच लिया। मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा गया है। पकड़े गए आरोपित पहले से गंभीर अपराधों में जमानत पर थे।

बाबूपुरवा गांव निवासी किसान रामछबीले 22 नवंबर की रात 10 बजे खेत में मौजूद अपने बेटे राजेश के लिए भोजन लेकर जा रहे थे। इस दौरान नहर पर बदमाशों ने हत्या कर उनका शव पुआल के ढेर में छिपा दिया था। मृतक की पत्नी बंशा की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि सोनवा थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र पांडेय को विवेचना

सौंपी गई थी। इस दौरान लोनियनपुरवा गांव के लल्लू चौहान, भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लोनियनपुरवा लालपुर महरी निवासी गन्नु चौहान, तुलसीराम, बहराइच जिले के बाँडी थाना क्षेत्र के के रामगढ़ी निवासी फिरोज व रज्जब का नाम प्रकाश में आया। फरार चल रहे लल्लू व गन्नु चौहान की गिरफ्तारी के लिए 15-15 हजार रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 22 मार्च शाम तीन बजे दिकौली मोड़ के पास दोनों आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ में इन्होंने हत्या की बात स्वीकार की। इनकी निशानदेही पर मृतक का टिफिन व हत्या में प्रयोग की गई रस्सी भी बरामद की गई। एसपी ने बताया कि लल्लू का पुराना अपराधिक इतिहास है। वर्ष 2012 में गिलौला थाना क्षेत्र के लेंगड़ीगूलर में उसने अपने सगे मामा की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

